277

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर, १९९६ (भाद्र २०, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन.

१. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(१) **डॉ. विजयलक्ष्मी साधो,** संस्कृति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९३-९४ पटल पर रखेंगी.

(२) **श्री सत्यनारायण शर्मा,** राज्य मंत्री, आवास एवं खनिज साधन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा ४० (७) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा ३६ (७) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५ पटल पर रखेंगे.

(३) **श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल,** ग्रामोद्योग मंत्री-

(क) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९८८-८९, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित भोपाल का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक ३१ मार्च, १९८९ को समाप्त वर्ष के लिए,

पटल पर रखेंगे.

३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) **श्री घनश्याम पाटीदार,** सदस्य, मन्दसौर जिले की जावद तहसील में भेड़ पालकों का आतंक होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) **श्री गोपाल भार्गव,** सदस्य, सागर जिले में रहली के समीप सोनार नदी में बहने से आदिवासियों की मौत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(३) **श्री मुनीराम साहू,** सदस्य, बिलासपुर जिले की तेली मोहतरा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(४) **श्री मनीष कुंजाम,** सदस्य, बस्तर जिले के कोण्टा परियोजना क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(५) **सर्वश्री बच्चन नायक,** भूपेन्द्र सिंह, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, सतना जिले के मसनहा गांव के एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(६) **युवराज तुकोजीराव पवार,** सदस्य, देवास स्थित निजी साल्वेंट प्लांट द्वारा सोयाबीन खरीदी में मण्डी शुल्क की चोरी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(७) **सर्वश्री रामलखन सिंह पटेल,** गणेश बारी, सदस्य, सतना जिले की नरोहिल बॉक्साइट खदान बंद होने से श्रमिकों के बेरोजगार होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(८) **श्री नानालाल पाटीदार,** सदस्य, मन्दसौर जिले में अतिवृष्टि से जनजीवन एवं फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(९) **श्री गोपीकृष्ण नेमा,** सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम पिण्डोरी में डकैती की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१०) **श्री भूपेन्द्र सिंह,** सदस्य, सागर जिले के राहतगढ़ में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस की चपेट से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(११) **सर्वश्री बच्चन नायक,** रमाशंकर भारद्वाज, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मुरैना पुलिस कोतवाली में एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह का प्रयास किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१२) **सर्वश्री रघुनंदन शर्मा,** गोपीकृष्ण नेमा, रामलखन शर्मा, सदस्य, मुरैना जिले के बानमोर थाने में पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१३) **सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा,** भूपेन्द्र सिंह, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, खरगोन जिले के बलकवाड़ा गांव के पास बस पलटने से कई व्यक्तियों की मौत होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१४) **सर्वश्री रामदयाल प्रभाकर,** बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के इन्दरगढ़ में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१५) **श्री डोमनसिंह नगपुरे,** सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम अतरी में चिकित्सा कर्मियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१६) **सर्वश्री प्रेमनारायण शर्मा,** चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले में बाढ़ से जनजीवन एवं फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१७) **श्री गौरीशंकर बिसेन,** सदस्य, बालाघाट जिले के अन्तर्गत संजय सरोवर परियोजना की नहरों के क्षतिग्रस्त होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१८) **श्री भूपेन्द्र सिंह,** सदस्य, खरीफ मौसम में कृषकों को अवमानक स्तर की खाद का प्रदाय करने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१९) **श्री बनवारीलाल अग्रवाल,** सदस्य, कोरबा स्थित विद्युत मण्डल के संयंत्र में क्रेशर से दबकर विद्युत कर्मी की मौत होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

- ३ -

(२०) **श्री रामदेव सिंह जू देव,** सदस्य, सतना जिले के उचेहरा एवं नागौद के वन परिक्षेत्र में अवैध कटाई कर अतिक्रमण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२१) **सर्वश्री बच्चन नायक,** ओंकार सिंह बिसेन, बंशीलाल जाटव, सदस्य, रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी द्वारा अवैध शराब की बिक्री कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२२) **सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय,** बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, राज्य शासन द्वारा कृषकों को सोयाबीन बीज का प्रदाय न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२३) **श्री बृजमोहन अग्रवाल,** श्रीमती करूणा शुक्ला, श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले में अनुविभागीय अधिकारी कांकेर द्वारा सिंचाई योजनाओं में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२४) **डॉ. रमन सिंह,** सदस्य, शिवपुरी जिले में तेंदूपत्ता तुड़ाई कार्य में वन कर्मियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२५) **सर्वश्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय,** बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती करूणा शुक्ला, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य बीज विकास निगम भोपाल द्वारा बीज विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२६) **श्री बच्चन नायक,** सदस्य, जिलाध्यक्ष भोपाल कार्यालय द्वारा ईदगाह क्षेत्र में अनियमित तरीके से भूमि का आंवटन किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

४. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(१) **श्री बाबूलाल जैन,** सभापति, लोक लेखा समिति का अड़सठवां एवं उन्हत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(२) **श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला,** सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इकहत्तरवां, बहत्तरवां, तिहत्तरवां, चौहत्तरवां, पचहत्तरवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, अठहत्तरवां एवं उन्यासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(३) **श्री परसराम धुर्वे,** सभापति, प्राक्कलन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(४) **श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया,** सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(५) **श्री सुरेश चौधरी,** सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(६) **डॉ. गोविन्द सिंह,** सभापति, याचिका समिति का पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेइसवां एवं चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(७) **श्रीमती जून चौधरी,** सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

५. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव.

श्री भगवान सिंह यादव, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

(१) "सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(२) **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी**, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

६. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) **डॉ. सियाराम साहू**, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम महराजपुर में-

(क) उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ख) हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(घ) विद्युतीकरण कराये जाने,

(ङ) कवर्धा-राजनांदगांव मार्ग (व्हाया खैरबना कला) को पूर्ण कराये जाने, तथा

(च) ग्राम खैरबना कला में हाई स्कूल खोले जाने,

(२) **श्री बच्चन नायक**, सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम घंघरी कला के आदिवासी मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ख) कैलवारा कला-खडौला मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय श्रेणी मार्ग के रूप में स्वीकृति दिलाये जाने,

(ग) ग्राम चनहटी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) ग्राम अमराडांड के टोला मन्टोला में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम खडौला के अनुसूचित जाति मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,

(३) **श्री पर्वतलाल अहिरवार**, सदस्य टीकमगढ़ जिले के ग्राम चरी खदिया से भदर्रा तक सड़क बनाये जाने,

(४) **श्री लल्लू सिंह**, सदस्य, शहडोल जिले के-

(क) ग्राम जमुई की अपूर्ण विद्युत व्यवस्था को पूर्ण कराये जाने,

(ख) नगर पालिका क्षेत्र शहडोल, धनपुरी एवं नगर पंचायत बुढ़ार की सड़कों का चौड़ीकरण एवं १६ टन भार क्षमता के योग्य बनाये जाने, तथा

(ग) गोपालपुर के आदिवासी मुहल्ले में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जाने, एवं

(५) **श्री शैलेन्द्र प्रधान**, सदस्य, भोपाल के माता मंदिर एवं रंगमहल चौराहे से भदभदा रोड़ पर यात्री वाहन चलाये जाने तथा वर्तमान किराये में कमी किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

७. श्रम मंत्री का वक्तव्य.

श्री रत्नेश सॉलोमन, श्रम मंत्री–

(१) दिनांक २८ नवम्बर, १९९५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ (क्रमांक ४५७), तथा

(२) दिनांक १९ मार्च, १९९६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५० (क्रमांक ६६२१) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

८. मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव.

श्री विक्रम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

निर्धारित समय

९. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

१ घन्टा ३० मिनिट — (१) प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, नेमीचन्द जैन, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

१ घन्टा ३० मिनिट — (२) सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, रामलखन सिंह (त्यौंथर), सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

१०. नियम १४२-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा.

४५ मिनिट — पंचायतों को दिये गये प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों को स्पष्ट एवं प्रभावी बनाये जाने के संबंध में श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

११. नियम ५२ के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.

(१) दिनांक ४ सितम्बर, १९९६ को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ (क्रमांक ५१५२) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या ६० (क्रमांक ५१५३) के उत्तरों से उद्भूत विषय पर डॉ. जवाहर नायक, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(२) दिनांक ९ सितम्बर, १९९६ को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ (क्रमांक ६८०६) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.
दिनांक १० सितम्बर, १९९६.